


10/22

तारीख  
हुक्म

बकील जार्ज उपस्थित पत्रावली का  
अवलोकन किया जहाँ यह सुनाई  
जाया कि सहायक कमिश्नर भरतपुर  
(कार्पोरेट) श्री डी.के. शर्मा के खिलाफ  
पेश किया गया है सहायक कमिश्नर  
भरतपुर का पदस्वापन के युक्त है  
अतः जार्ज का प्रभावहीन हो जाने  
से खारिज किया जाता है पत्रावली  
केसल सुनार होकर बाद कार्रवाई  
शायद इतर हो

  
जिला कमिश्नर  
भरतपुर (राज०)